सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 59/2011 दायर दिनाँक 01.04.2011

वादी		प्रतिवादीगण
1. भंवरलाल पुत्र सागर 2. शिम्भुलाल पुत्र सागर 3. मूलचन्द पुत्र सागर 4. पूर्णाराम पुत्र सागर समस्त जाति माली निवासीगण मैदासरबास डीडवाना तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना प्रतिनिधि लैण्ड होल्डर राज्य सरकार 2. जिलाधीश नागौर 3. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका डीडवाना 4. चैयरमेन नगर पालिका डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री रामगोपाल अग्रवाल वकील, वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 22.02.2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादीगण की पुश्तेनी खातेदारी व कब्जा काश्त का खेत खसरा सं0 2065 रकबा 32 बीघा 08 बिस्वा तथा खसरा स0 2064 रकबा 08 बिस्वा गैर मुमकिन बैरा व बाडा कुल भूमि 32 बीघा 16 बिस्वा सरहद डीडवाना में अवस्थित है।

सर्वप्रथम उक्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में परगना संवत 1981 में ओसवाल परिवार मांगीलाल फतेहचन्द दीपचन्द बेटा कुनननमल ओसवाल महाजन के नाम खसरा सं0 2065 रकबा 32 बीघा 08 बिस्वा दर्ज थी तथा इस भूमि पर कब्जा काश्त तत्समय वादीगण के पिता स्व0 सागर पुत्र शंकर माली का था जिससे By Operation of Law उक्त खसरा की खातेदारी नामान्तरकरण सागर जी पुत्र शंकर जी माली के नाम दर्ज हुई इस संबंध में

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

खतौनी एवं गिरदावरी संवत 2014 से 2017 खसरा सं0 2065 की वाद के साथ पेश है।

कालान्तर में वादीगण के खेत में से डीडवाना सूपका एक डामर सडक संवत 2017–2018 के आस पास निकाली गई। यह सडक पूर्व से पश्चिम बनाई गई, जिसका खसरा सं0 2198 गै0मु0 सडक पडा तथा वादी के खेत खसरा सं0 2196 पडा। इस सडक की चौडाई पूर्व से पश्चिम 7.5 गट्टा है। इस नई सडक के पश्चात उत्तर की और वादीगण के खेत की पश्चिमी सीमा जो 57 गट्टा लम्बाई में थी उसमें से 34 गट्टा भूमि उक्त सडक से दक्षिण की और खसरा सं0 2196 अपने स्थान पर रही, उसके बाद 7.5 गट्टा चौडाई सडक में चली गई तथा शेष 15.43 गट्टा सडक के उत्तर में पृथक भूखण्ड के रूप में रही। वादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त का उक्त सडक के उत्तरी तरफ का भूखण्ड जिसकी पश्चिमी भुजा 15.43 गट्ट यानि 102 फुट थी तथा पश्चिम से पूर्वी भुजा 450 फुट लम्बी थी एक मात्र वादीगण के कब्जा काश्त में बदस्तुर रहा।

उक्त पृथक भुखण्ड वादी के वाद के संलग्न नक्शा में ABC मार्क से दर्शित किया गया है। इस पर सदैव से वादी की तारबंदी व पट्टिया रूपी हुई रही। नक्शा वाद का भाग है तथा अनुसूची क है। इस पृथक भूखण्ड पर भी कब्जा काश्त सदैव से वादी परिवार की चलती आई है। वादी के इस खेत खसरा नम्बर 2196 व उसका हिस्सा उत्तरी तरफ पृथक भूखण्ड के मौके पर वर्ष 2008 में उत्तर दक्षिण मेघा हाईवे निकल जाने से दो भाग ABC व DEF बन गये। जिससे डीडवाना दयालपुरा सडक के उत्तर में मेगा हाईवे के पश्चिम में 16 बिस्वा भूमि तथा मेगा हाईवे के पूर्व में 01 बिस्वा भूमि शेष रही।

वादीगण सभी अपनढ व सामान्य मजदुरी करने वाले लोग है। जिन्होनें कभी राजस्व रेकर्ड के बारे में न तो खोज खबर ली न कोई पूछताछ की तथा उक्त दोनों पृथक भूखण्डों पर अपनी कब्जा काश्त यथावत बनाये रखी। परन्तु दिनांक 10.06.2010 को तहसीलदार डीडवाना व पटवारी डीडवाना तथा नगर पालिका मण्डल डीडवाना ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए मेगा हाईवें के पश्चिमी तरफ के मार्क ABC पृथक भूखण्ड पर से वादीगण की तारबन्दी हटाकार तारव पत्थर अपने सा ले गये। तब वादी ने पटवारी हल्का से पूछताछ की तब पता चला की पुराना खसरा नम्बर 2065 के बीच में से दयालपुरा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

सडक निकली तब सडक के उत्तर में शेष रह गई भूमि उसके खाता में चढने से भूलवश रह गई है। इसलिए वादी को घोषणा खातेदारी करने का वाद करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादीगण है कि वाद के संलग्न नक्शा वादी अनुसूची ''क'' में दर्शित ABC भूखण्ड जो 16 बिस्वा है तथा DEF भूखण्ड जो 01 बिस्वा है। कुल 17 बिस्वा भूमि की खातेदारी वादीगण की होना घोषित फरमावें तथा स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमावें कि प्रतिवादीगण इस भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण या उसका विक्रय/हस्तान्तरण आदि नहीं करें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

प्रतिवादी सं0 01, 03, 04 ने अपना जवाब पेश किया। वाद में निम्न तनकियात कायम किये गये।

1. आया सरहद डीडवाना के खसरा सं0 2196 के वाद साथ पेश नक्शा अनुसूची ''क'' में दर्शित ABC की 16 बिस्वा व मार्क DEF की 01 बिस्वा की खातेदारी प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी है। जिम्मे वादीगण
2. आया वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा बर खिलाफ प्रतिवादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। जिम्मे वादीगण
3. आया इन्हीं पक्षकारान के मध्य इसी भूमि से संबंधित राजस्व वाद 195/1995 दिनांक 26.03.2003 को खारिज हो जाने के कारण हस्तगत वाद Resjudicate के तहत आता है व काबिले खारिज है। जिम्मे प्रतिवादीगण।

साक्ष्य वादी में वादी भंवरलाल, गवाह आलम अली खांन, के शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. का पेश हुआ।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने प्रदर्श–01 खतौनी मारवाड संवत 1981 प्रदर्श–02 जमाबन्दी संवत 2014–2017, प्रदर्श–03 खतौनी सं0 1980, प्रदर्श–4 गिरदावरी सव 2010–2012, प्रदर्श–5 नक्शा ट्रेस सं0 1979 खसरा सं0 2065, प्रदर्श–6 नक्शा ट्रेस सं0 1981 खसरा सं0 2065, प्रदर्श–7 नक्शा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

सर्तेशीट सन् 1960–61 खसरा सं0 2169, प्रदर्श–8 नक्शा ट्रेस सन् 1960–61 खसरा सं0 2169, प्रदर्श–9 नक्शा ट्रेस सं0 1960–61 खसरा सं0 2196, प्रदर्श–10 जमाबन्दी सं0 2058–61 खसरा सं0 2196, प्रदर्श–11 जमाबन्दी सं0 2062–65 खसरा सं0 2196, प्रदर्श–12 नकल मिला सं0 2022 खसरा सं0 2196, प्रदर्श–13 जमाबन्दी सं0 2036–40 खसरा सं0 2169, प्रदर्श–14 खसरा पत्रक संवत 2017, प्रदर्श–15 पत्रक विभाग संवत 2018, प्रदर्श–16 नोटिस, प्रदर्श–17 ए डी रसीद पेश है।

तनकीवारी निर्णय निम्नानुसार हैः–

तनकी संख्या–1 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श–01 खतौनी मारवाड संवत 1981 प्रदर्श–02 जमाबन्दी संवत 2014–2017, प्रदर्श–03 खतौनी सं0 1980, प्रदर्श–4 गिरदावरी संव 2010–2012, प्रदर्श–5 नक्शा ट्रेस सं0 1979 खसरा सं0 2065, प्रदर्श–6 नक्शा ट्रेस सं0 1981 खसरा सं0 2065, प्रदर्श–7 नक्शा सर्तेशीट सन् 1960–61 खसरा सं0 2169, प्रदर्श–8 नक्शा ट्रेस सन् 1960–61 खसरा सं0 2169, प्रदर्श–9 नक्शा ट्रेस सं0 1960–61 खसरा सं0 2196, प्रदर्श–10 जमाबन्दी सं0 2058–61 खसरा सं0 2196, प्रदर्श–11 जमाबन्दी सं0 2062–65 खसरा सं0 2196, प्रदर्श–12 नकल मिला सं0 2022 खसरा सं0 2196, प्रदर्श–13 जमाबन्दी सं0 2036–40 खसरा सं0 2169, प्रदर्श–14 खसरा पत्रक संवत 2017, प्रदर्श–15 पत्रक विभाग संवत 2018, प्रदर्श–16 नोटिस, प्रदर्श–17 ए डी रसीद पेश है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्य से विवादित जायगा पर वादीगण का कब्जा साबित होता है। वर्तमान खसरा संख्या 2196 मूल रकबा 24.07 बीघा मार्क ए एच सी बी के मध्य है परन्तु गत खसरा संख्या 2065 की सीमा AHEDFCB के मध्य है। यह अन्तर सूपका दयालपुरा डीडवाना रास्ते के दक्षिण की ओर विचलन होने से है। इस कारण EDFG के मध्य 08 बिस्वा भूमि वर्तमान सडक के उत्तरी और रह गई और इस अंकन संभवत सहवन से रह गया। खसरा सं0 3630 में से रकबा कम किया जाकर नवीन EDFG की सीमा में 08 बिस्वा किया जाना उचित होगा। इस प्रकार तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार भी विवादित 08 बिस्वा जायगा पर वादीगण का कब्जा साबित होता है। अतः तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध आंशिक तय की जाती है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 59/2011
दायर दिनाँक 01.04.2011, निर्णय दिनाँक 22.02.2019
भंवरलाल बनाम तहसीलदार वगैरा।

तनकी संख्या 02 :– तनकी संख्या 02 को साबित करने का भार भी वादीगण पर है। जब तनकी संख्या 01 के विस्तृत निर्णय से वादीगण के पक्ष में साबित हो चुकी है तब तनकी संख्या 02 भी वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध आंशिक तय की जाती है।

तनकी संख्या 03 :– तनकी संख्या 03 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य सबुत पेश नहीं किया है जिससे वादीगण का वाद खारिज किया जा सके। पूर्व में जब तनकी संख्या 01 व 02 वादीगण के पक्ष में साबित हो चुकी है। अतः तनकी संख्या 03 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

बहस विद्वान वकील सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

अतः, बाद विवेचन, वाद, वादी तनकीवार निर्णय अनुसार डिक्री सादिर किया जाता है।

<u>आदेश</u>

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद डीडवाना के मूल खसरा संख्या 2196 के वर्तमान खसरा संख्या 3630/2196 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा में से 08 बिस्वा भूमि कम कर तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार मार्क EDFG भूमि 08 बिस्वा वादीगण के नाम घोषित की जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
(सहायक कलक्टर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 22.02.2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
(सहायक कलक्टर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 59/2011 दायर दिनाँक 01.04.2011

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. भंवरलाल पुत्र सागर 2. शिम्भुलाल पुत्र सागर 3. मूलचन्द पुत्र सागर 4. पूर्णाराम पुत्र सागर समस्त जाति माली निवासीगण मैदासरबास डीडवाना तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना प्रतिनिधि लैण्ड होल्डर राज्य सरकार 2. जिलाधीश नागौर 3. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका डीडवाना 4. चैयरमेन नगर पालिका डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खतेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक 22.02.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री रामगोपाल अग्रवाल, वकील, वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद डीडवाना के मूल खसरा संख्या 2196 के वर्तमान खसरा संख्या 3630/2196 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा में से 08 बिस्वा भूमि कम कर तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार मार्क EDFG भूमि 08 बिस्वा वादीगण के नाम घोषित की जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–................

....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 22.02.2019 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner